भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2938

उत्तर देने की तारीख- 07/08/2023

वन अधिकार अधिनियम, 2006

†2938. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 संरक्षित क्षेत्रों में लागू है;

(ख) क्या इन अधिकारों को मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है;

(ग) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र-वार प्रदान किए गए दावों और टाइटिलों की सूची क्या है;

(घ) सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों की अलग-अलग सूची क्या है;

(ङ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत दावा किए गए और अधिकार प्राप्त कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अधिनियम के अंतर्गत देश के संरक्षित क्षेत्रों में वितरित किए गए व्यक्तिगत वन अधिकार टाइटिलों की संख्या कितनी है; और

(छ) संरक्षित क्षेत्रों में कुल कितना क्षेत्र वितरित किया गया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए)की धारा 3(1) के साथ पठित इसकी धारा 2(घ) के अनुसार, वन निवासी अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) में, जैसा कि एफआरए की धारा 2 (ग) और 2 (ण) के तहत क्रमशः किसी भी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी विवरण की भूमि में परिभाषित किया गया है को, वन अधिकारों (व्यक्तिगत और समुदायिक दोनों) को मान्यता देने और निहित करने का प्रयास करता है और इसमें अवर्गीकृत वन, सीमांकित वन, मौजूदा या माने गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय

उद्यान शामिल हैं। यह अधिनियम भूमि, वन और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देकर वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है, जिसे उन्होंने पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से संरक्षित और प्रबंधित किया है।

(ग) से (छ): एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन एफआरए के कार्यान्वयन के संबंध में इस मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)प्रस्तुत करते हैं। एमपीआर में, अन्य बातों के साथ-साथ, दायर किए गए व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों, वितरित अधिकार पत्र, खारिज किए गए दावों, वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए, के संबंध में राज्य-वार आँकड़े शामिल हैं। 31.03.2023 तक एफआरए के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के लिए प्राप्त दावों की संख्या और वितरित अधिकार पत्र का राज्य-वार समेकित विवरण **अनुलग्नक**-1 पर है।

दावा किए गए कुल क्षेत्रफल का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

एफआरए की धारा 3(1) (क) से (ड) के तहत गिनाए गए अधिकारों में से, खंड (ख), (ग), (घ), (ड.), (ज), (झ), (ञ) में सूचीबद्ध अधिकार (ट) और (ठ) को 2012 में संशोधित अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 के नियम 2 (ग) के तहत "सामुदायिक अधिकार" के रूपमें परिभाषित किया गया है। एफआरए की धारा 3 (1) (झ) के तहत अधिकार किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकारों से संबंधित हैं, जिसे वे पारंपरिक रूप से स्थायी उपयोग के लिए संरक्षित और परिरक्षित करते रहे हैं, जिसे धारा 2 (क) के तहत परिभाषित किया गया है और निम्नानुसार अनुसार पढ़ा जाता है:

"सामुदायिक वन संसाधन" का अर्थ है गाँव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि या चरवाहा समुदायों के मामले में परिदृश्य का मौसमी उपयोग, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जिन तक समुदाय के पास पारंपरिक पहुंच थी;"

एफआरए की धारा 3(1) के तहत दिए गए अधिकारों की सूची **अनुलग्नक- 2** पर है। एफआरए के तहत प्रदान किए गए दावों और अधिकार पत्रों की संरक्षित क्षेत्र-वार सूची केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

अनुलग्नक -1

07.08.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2938 के भाग (ग) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 1

31.03.2023 तक प्राप्त दावों, वितरित अधिकार पत्र और वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किये गये (व्यक्तिगत और सामुदायिक) का राज्य-वार विवरण

क्रम. सं.	राज्य	31.03.2023 तक प्राप्त दावों की संख्या			31.03.2023 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए (एकड़ में)		
		व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल
		1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	2,81,431	3,294	2,84,725	2,22,832	1,822	2,24,654	4,49,377	5,26,454	9,75,831.00
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
3	बिहार	8,022	NA/NR	8,022	121	0	121	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
4	छत्तीसगढ़	8,77,173	50,988	9,28,161	4,57,145	45,965	5,03,110	9,19,324.13	49,47,209.61	58,66,533.74
5	गोवा	9,758	378	10,136	472	13	485	884.37	18.16	902.53
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	91,686	4,597	96,283	1,56,924.55	12,36,490.19	13,93,414.74
7	हिमाचल प्रदेश	2,746	275	3,021	129	35	164	5.96	4,741.80	4,747.76
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	1,53,395.86	1,03,758.97	2,57,154.83
9	कर्नाटक	2,85,874	5,863	2,91,737	14,782	1,345	16,127	19,998.38	36,340.52	56,338.90
10	केरल	44,080	964	45,044	27,665	190	27,855	36,647.40	7,61,489.62	7,98,137.02
11	मध्य प्रदेश	5,85,326	42,187	6,27,513	2,66,609	27,976	2,94,585	9,02,750.46	14,63,614.46	23,66,364.92
12	महाराष्ट्र	3,87,857	11,358	3,99,215	1,96,969	8,301	2,05,270	4,55,382.76	32,78,880.77	37,34,263.54
13	ओडिशा	6,31,951	15,461	6,47,412	4,56,003	7,810	4,63,813	6,68,661.95	3,74,138.47	10,42,800.42
14	राजस्थान	1,11,285	2,697	1,13,982	48,515	593	49,108	68,312.90	52,300.30	1,20,613.20
15	तमिलनाडु	34,877	2,584	37,461	10,536	531	11,067	9,626.44	एनए/एनआर	9,626.44
16	तेलंगाना	2,04,176	2,808	2,06,984	97,434	102	97,536	3,10,916.00	3,631.00	3,14,547.00

17	त्रिपुरा	2,00,557	164	2,00,721	1,27,931	101	1,28,032	4,65,192.88	552.40	4,65,745.28
18	उत्तर प्रदेश	92,577	1,162	93,739	18,049	861	18,910	19,190.27	1,20,776.00	1,39,966.27
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	0.00	0.00	0.00
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29
21	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
22	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
23	जम्मू एवं कश्मीर	32,207	10,224	42,431	315	4,190	4,505	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
कुल		**43,64,312**	**1,80,574**	**45,44,886**	**21,99,012**	**1,08,700**	**23,07,712**	**46,57,605.58**	**1,29,10,968.30**	**1,75,68,573.88**

एनए/एनआर-संबंधित आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं हैं या रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक-2

दिनांक 07.08.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2938 के भाग (ग) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध 2

एफआरए की धारा 3(1) के तहत दिए गए अधिकारों की सूची

(क) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा निवास के लिए या आजीविका के लिए स्व-खेती के लिए व्यक्तिगत या सामान्य व्यवसाय के तहत वन भूमि पर कब्जा करने और रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जिनमें पूर्ववर्ती रियासतों, जमींदारी या ऐसे मध्यस्थ शासनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकार भी शामिल हैं;

(ग) स्वामित्व का अधिकार, लघु वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान तक पहुंच, जो पारंपरिक रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र की जाती रही है;

(घ) उपयोग या हकदारियों के अन्य सामुदायिक अधिकार जैसे मछली और जल निकायों के अन्य उत्पाद, चराई (बसे हुए या ट्रांसह्यूमन दोनों) और घुमंतु या चरवाहा समुदायों की पारंपरिक मौसमी संसाधन पहुंच;

(ङ) आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों के लिए आवास और आवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार;

(च) किसी भी राज्य में जहां दावे विवादित हैं, किसी भी नामकरण के तहत विवादित भूमि पर या उस पर अधिकार;

(छ) वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या पट्टों (लीज) या अनुदानों को स्वामित्व में बदलने का अधिकार;

(ज) सभी वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, सर्वेक्षण रहित ग्रामों और वनों में स्थित अन्य ग्रामों, चाहे वे राजस्व ग्रामों में अभिलेखित, अधिसूचित हों या नहीं, के निपटान और परिवर्तन के अधिकार;

(झ) किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार, जिसे वे पारंपरिक रूप से टिकाऊ उपयोग के लिए संरक्षित और परिरक्षित करते रहे हैं;

(ञ) वे अधिकार जो किसी राज्य के कानून या किसी स्वायत्त जिला परिषद या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त हैं या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजातियों के किसी पारंपरिक या प्रथागत कानून के तहत आदिवासियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और बौद्धिक संपदा और जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक समुदाय का अधिकार;

(ठ) जंगल में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों या अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा परंपरागत रूप से प्राप्त कोई अन्य पारंपरिक अधिकार जैसा भी मामला हो, जिसका खंड (क) से (ट) में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन शिकार करने या फंसाने या किसी भी प्रजाति के जंगली जानवर के शरीर का एक हिस्सा निकालने के पारंपरिक अधिकार को छोड़कर;

(ड) उन मामलों में वैकल्पिक भूमि सहित यथास्थान पुनर्वास का अधिकार, जहां अनुसूचित जनजातियों या अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 से पहले पुनर्वास के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की वन भूमि से अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है।

*****